


17/6
25

पत्रावली पैरा / प्राथी व वकील प्राथी को
बार-बार आवाज लगाई गई। बार-बार
आवाज लगाने के पश्चात भी प्राथी
व वकील प्राथी न्यायालय में हाजिर
नहीं आये। अतः प्राथी का पार्थना
पत्र अन्तर्गत धारा 212 रि.सि. अप्रम
हाजरी अप्रम परैवी में खारीज किया
जाता है। पत्रावली फ़ैसल नुमार
होकर नम्बर से कम होकर दाखिल
दफ़तर हो। 

उपखण्ड अधिकारी
दातारामगढ़ (सीकर)